विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदुर्ग/2026/236

दुर्ग दिनांक 27/07/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 116
दिनांक: 08/05/2026

अधिक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी–पी–क्रमांक – 1004719993

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, कोहका जोन

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 27/07/2026 को पारित किया गया

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती/स्ट्रीट लाइट हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1004719993, स्वीकृत भार 13 किलोवाट, में विद्युत बिल सही नहीं होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है रू–

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन सड़क बत्ती/स्ट्रीट लाइट के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 13 किलोवाट है।

3. अनावेदक के अनुसार उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक की शिकायत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिसंबर 2025 से जून 2026 की अवधि में मीटर डिफेक्टिव रहने के दौरान की गई बिलिंग में औसत खपत का निर्धारण बिना किसी ठोस आधार के किया गया है तथा उक्त बिलिंग में सुधार की आवश्यकता है।

आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता है तथा मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज गलत रूप से लगाए गए हैं। अतः उक्त पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त कर संबंधित राशि वापस/समायोजित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन का जनवरी 2023 से मार्च 2026 तक का बिलिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2025 से जून 2026 तक डिफेक्टिव रहा। साथ ही अनावेदक द्वारा बताया गया है कि उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं –

1. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में जारी विद्युत बिल सही एवं युक्तिसंगत था?
2. क्या उक्त अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग किया जाना उचित था?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्र एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर दिसंबर 2025 से जून 2026 की अवधि में डिफेक्टिव रहा।

उक्त अवधि के लिए अनावेदक द्वारा औसत खपत 2486 यूनिट प्रतिमाह निर्धारित की गई है। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध खपत के आंकड़ों के परीक्षण से औसत खपत लगभग 2300 से 2500 यूनिट प्रतिमाह के मध्य पाई जाती है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं खपत के आंकड़ों के आधार पर डिफेक्टिव मीटर की अवधि में निर्धारित औसत खपत में किसी प्रकार की विसंगति अथवा अनियमितता नहीं पाई जाती है।

फलतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष यह है कि डिफेक्टिव मीटर की अवधि में की गई बिलिंग में औसत खपत के निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति प्रमाणित नहीं होती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

उपभोक्ता द्वारा मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाए जाने पर आपत्ति की गई है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत मीटर गणना पत्रक एवं बिलिंग अभिलेखों के परीक्षण से पाया गया कि दिसंबर 2025 से जून 2026 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में उपभोक्ता के बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया ही नहीं गया है।

अतः जिस पावर फैक्टर सरचार्ज को लेकर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई है, उक्त अवधि में उसकी वसूली किए जाने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं पाया गया।

फलतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष भी आवेदक के विरुद्ध दिया जाता है तथा इस संबंध में किसी प्रकार की बिलिंग विसंगति नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम यह पाता है कि आवेदक द्वारा की गई शिकायत में लगाए गए आरोप अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होते हैं।

डिफेक्टिव मीटर की अवधि में निर्धारित 2486 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध लगभग 2300 से 2500 यूनिट प्रतिमाह की वास्तविक खपत के अनुरूप पाई गई है। इसी प्रकार उक्त अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज भी आरोपित नहीं किया गया है।

अतः फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक अपने परिवाद में किसी प्रकार की बिलिंग अनियमितता प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है।

अतः प्रस्तुत परिवाद निराधार पाए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

7. आदेश

1. दिसंबर 2025 से जून 2026 की डिफेक्टिव मीटर अवधि में निर्धारित 2486 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

2. उक्त अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगाए जाने के कारण इस संबंध में कोई समायोजनध्वापसी देय नहीं है।

3. अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त कर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

4. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. आदेश परित

6. प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग